प्रस्तावना

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

रिपोर्ट में 'परियोजना आयात' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में 2016-17 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान नोटिस किये गये और 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 की अवधि के लेन-देन कवर करने वाले उदाहरण उल्लिखित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखांकन मानकों के अनुसार की गई थी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।